2252

संख्याः-4305 / III(2)/11-16(मु0मं0घो0)/2011

प्रेषक,

महिमा,
अनुसचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा मे,

मुख्य अभियन्ता स्तर-1,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2 देहरादूनः दिनांकः 16 सितम्बर, 2011

विषयः- मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत विभिन्न 07 कार्यो की प्रथम चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा व्यय की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी द्वारा मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत प्रथम चरण की स्वीकृति हेतु संलग्न विवरणानुसार उपलब्ध कराये गये 07 कार्यो के प्रारम्भिक आगणनों पर टी0ए0सी0 वित्त द्वारा औचित्यपूर्ण पाई गई धनराशि ₹ 386.11 लाख (₹ तीन करोड़ छियासी लाख ग्यारह हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए संलग्नक के कॉलम सं0-6 पर अंकित विवरणानुसार चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 में प्रत्येक कार्य हेतु ₹ 0.25 लाख अर्थात कुल 07 कार्यो हेतु ₹ 1.75 लाख (₹ एक लाख पिचहत्तर हजार मात्र) को व्यय करने की महामहिम श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(i)- उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यो को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तदोपरान्त उक्त सन्दर्भित शासनादेश सं0:-1764/III(2)/10-17(सामान्य)/2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही मोटर मार्ग के निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(ii)- आगणन मे उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शैडयूल आफ रेट में स्वीकृत नही हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(iii)- कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि मे बचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।

(iv)- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

(v)- आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(vi)- स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोक्यौरमेन्ट रूल्स-2008 एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बजट मैनुअल के निर्देशों का भी अनुपालन किया जायेगा।

(vii)- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0:- 2047/XIV-219(2006) दिनांक 30-05-2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

महिमा

(viii) उक्तानुसार स्वीकृत आगणनों में एन०पी०वी०, भूमि अधिग्रहण, यूटिलिटी शिफ्टिंग आदि मदों के सम्बन्ध में यथावश्यक व्यय अनुदान सं0–22–लेखाषीर्शक–5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय–04 जिला तथा अन्य सड़कें– आयोजनागत–800–अन्य व्यय–05–सड़क/भवन/सेतु आदि हेतु भूमि अधिग्रहण –00–24 वृहत निर्माण कार्य में विभागीय आय- व्ययक में प्राविधानित निवर्तन पर रखी गयी धनराशि से किया जायेगा।

(ix)– स्वीकृत किये जा रहे कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

(x)– वित्तीय वर्ष 2011–12 में व्यय हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग दिनांक 31 मार्च, 2012 तक सुनिश्चित किया जायेगा।

(2)– इस संबंध मे होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2011–12 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0–22–लेखाषीर्शक–5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय –04 जिला तथा अन्य सड़कें –आयोजनागत –800–अन्य व्यय–03 राज्य सेक्टर–02 नया निर्माण कार्य–24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा ।

(3)– **यह आदेश वित्त अनुभाग–2 के अशासकीय संख्या– 376/XXVII/(2)/2011 दि0: 14 सितम्बर, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।**

संलग्नक:– यथोपरि।

भवदीय,
महिमा
(महिमा)
अनु सचिव

संख्या:– 4305 (1)/III(2)/11–16(मु0मं0घो0)/2011 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिग, माजरा देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. जिलाधिकारी, जनपद चमोली/रूद्रप्रयाग।
4. मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल क्षेत्र, लो.नि.वि., पौड़ी।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जनपद देहरादून/चमोली/रूद्रप्रयाग।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग–2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ/राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
8. अधीक्षण अभियन्ता, सप्तम वृत्त, लो0नि0वि0 गोपेश्वर।
9. लोक निर्माण अनुभाग–1/3 उत्तराखण्ड शासन ।
10. गार्ड बुक।

कार्यालय
मुख्य अभियन्ता स्तर-1
लोक निर्माण विभाग
देहरादून

आज्ञा से,
(महिमा)
अनु सचिव

प्र0 पत्रसंख्या 1163 / 2 ख्याता (क) / 11 दि0 – / 9 / 2011

पत्र में दिये गये उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्न लिखित को निर्देशों के क्रम में तत्काल आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01– मुख्य अभि0 (ग0क्षे0) लो0नि0वि0 पौड़ी।
02– अधीक्षण अभि0 सप्तम वृत्त, लो0नि0वि0 गोपेश्वर।
03– [illegible]

[illegible signature] 19/09/11

शा0 संख्या:– U305 (1)/III(2)/11–16(मु0मं0घो0)/2011 दिनांक 18 सितम्बर, 2011 का संलग्नक

क0 सं0	कार्य का नाम	घोषणा संख्या	लम्बाई (किमी0 में)	टी0ए0सी0 वित्त द्वारा अनुमोदित (लाख ₹ में)	वित्तीय वर्ष 2011–12 में व्यय हेतु स्वीकृत धनराशि (लाख ₹ में)
01	02	03	04	05	06
1	जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र–कर्णप्रयाग में गैरसैंण पजियाणा–घण्डियाल मोटर मार्ग का विस्तार	132/2011	6.00	75.60	0.25
2	जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र–कर्णप्रयाग में आदिबद्री–नौटी मोटर मार्ग से कोंसुवा होते हुए चांदपुर गढी तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण	135/2011	7.00 + 02 सेतु	83.83	0.25
3	जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र–कर्णप्रयाग में नौटी–छातोली मोटर मार्ग का जखेट तक विस्तार	136/2011	4.00	50.32	0.25
4	जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र–कर्णप्रयाग में कर्णप्रयाग–नौटी–पैठाणी राज्य मार्ग 34 से मालई तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण	138/2011	2.00	25.16	0.25
5	जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र–कर्णप्रयाग में मैखोली से नलगॉव– लखेड़ी–वासीसेम से रोहिड़ा तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण	133/2011	6.00	75.60	0.25
6	जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र–कर्णप्रयाग में बुंगीधार–मेहलचौरी–बच्छुवाबाण मोटर मार्ग से हरगढ तक 2.00 किमी0 तक मोटर मार्ग का निर्माण	134/2011	2.00	25.20	0.25
7	जनपद रूद्रप्रयाग में विकासखण्ड जखोली के अन्तर्गत जवाड़ी इण्टर कॉलेज से दरमोला–रौठिया–जवाड़ी को जोड़ने हेतु मिसिंग लिंक का निर्माण।	163/2011	4.00	50.40	0.25
	योग:–		31 किमी0 + 02 सेतु	386.11	1.75

(कुल ₹ एक लाख पिचहत्तर हजार मात्र)

(महिमा)
अनु सचिव